राजस्थान सरकार

राजस्व(ग्रुप-6) विभाग

क्रमांकः प. 6(6)राज-6/92 पार्ट2/6 जयपुर दिनांक 3-7-2004

प्रेषितः समस्त जिला कलेक्टर्स

परिपत्र

विषयः- राजस्थान भू-राजस्व(ग्रामीण क्षत्रों में कृषि का अकृषि प्रयोजनों के लिये रूपांतरिवर्तन) नियम, 1992 के उपनियम 9 व उप नियम 12 के तहत मामलों में शीघ्र कार्यवाही किये जाने बाबत ।

राजस्थान भू-राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का अकृषि प्रयोजनों के लिऐ रूपांतरिवर्तन) नियम 1992 के उपनियम 9 में यह प्रावधान है कि विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिऐ जब रूपांतरिवर्तन आदेश जारी हो चुके है तथा उसे अन्य आवासीय/ वाणिज्यिक/अन्य अकृषि प्रयोजन हेतु उपयोग में लेना चाहता है तो उसे प्रीमियम की अंतर की रकम देनी होगी इसी प्रकार 1992 के उपनियम 12 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति जिसने इन नियमों के प्रवृत होने से पूर्व बिना अनुज्ञा के कृषि भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिए कर लिया गया है तो उसे नियमानुसार रूपान्तरित कर नियमित किये जाने का प्रावधान है ।

लेकिन राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार सभी जिलों में कार्यवाही नही की जा रही है जिससे एक ओर नियमों की पालना नही हो रही है और दूसरी और राज्य सरकार को करोडों रूपये की हानि प्रत्येक जिले में हो रही है ।

प्रत्येक जिला कलेक्टर को निर्देश दिये जाते है कि वे उपरोक्त नियमों के तहत शीघ्र कार्यवाही करें और प्रत्येक माह के अंत में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट सरकार को भेजे ।